

कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी, आजमगढ़।

पत्रांक

/जि0का0का0 / 2024-25

दिनांक 24 अक्टूबर, 2024

विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-19/2023/3975/58-1-2022-2/1(22)10 टी.सी. दिनांक 21 मार्च 2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद आजमगढ़ के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाडी कार्यकर्त्री के मानदेय आधारित सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है-

क्र०स०	परियोजना का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की श्रेणी				योग
			अनारक्षित		SC/ST	OBC	
			अना०	EWS			
1	अहिरौला	6	4	1	0	1	6
2	अतरौलिया	3	1	0	1	1	3
3	शहर	20	11	2	6	1	20
4	अजमतगढ़	17	6	3	3	5	17
5	बिलरियागंज	20	12	2	3	3	20
6	हरैया	13	5	3	3	2	13
7	जहानागंज	13	5	2	3	3	13
8	कोयलसा	4	2	0	1	1	4
9	लालगंज	16	9	2	1	4	16
10	महाराजगंज	7	2	3	0	2	7
11	मार्टिनगंज	3	0	2	0	1	3
12	मेंहनगर	42	23	3	9	7	42
13	मिर्जापुर	15	7	2	4	2	15
14	मुहम्मदपुर	4	1	2	1	0	4
15	पल्हना	12	3	3	3	3	12
16	पल्हनी	14	5	2	2	5	14
17	पवई	14	5	3	6	0	14
18	फूलपुर	5	4	1	0	0	5
19	रानी कीसराय	18	6	3	7	2	18
20	सठियांव	21	8	5	4	4	21
21	तहबरपुर	10	4	2	2	2	10
22	तरवां	39	18	5	9	7	39
23	ठेकमा	34	17	3	6	8	34
	योग	350	158	54	74	64	350

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार रिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश-

1. चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार अनुभाग उ०प्र० के शासनादेश संख्या-19/2023/3975/58-1-2022-2/1(22) 10 टी.सी. दिनांक 21 मार्च 2023 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।
2. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
3. रिक्त पदों (आंगनवाडी कार्यकर्त्री) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी।
4. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
5. आवेदिका की आयु दिनांक 01-07-2024 को निर्धारित कट ऑफ तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।



6. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पर फॉर्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
7. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23-11-2024 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।
8. उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
9. विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
10. उपरोक्त पदों पर भर्ती शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार तैयार की गयी मेरिट के आधार पर होगी। इसके लिये कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
11. ऑगनवाडी कार्यकर्त्री का पद पूर्णतः मानदेय पर आधारित है जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली लागू नहीं होगी तथा शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
12. अभ्यर्थियों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि आवेदन करने के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर ले जिससे किसी प्रकार की त्रुटि जनित हानि से बचा जा सके।
13. आनलाइन आवेदन में वेबसाइट पर भरी गयी सूचना ही चयन के लिये प्रयोग की जायेगी। कोई भी अभिलेख आफलाइन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(हेमन्त सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
आजमगढ़

पृष्ठांकन पत्र संख्या / 1963-70 तद दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय आजमगढ़।
4. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद आजमगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करे।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करे।
6. जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि जनपद आजमगढ़ के पृष्ठ पर ऑगनवाडी के रिक्त पदों पर विज्ञापित न्यूनतम दर पर एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के साथ भुगतान हेतु बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) आजमगढ़।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त रिक्त पद की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करे।

(हेमन्त सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
आजमगढ़